भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.03.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2886 का उत्तर

रेलवे सुरक्षा बल की नफरी

2886. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री श्रीनिवास पाटीलः
श्री रामचरण बोहराः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की स्वीकृत और वास्तविक संख्या जिसमें महिला कांस्टेबल भी शामिल हैं, की क्षेत्र-वार तैनाती कितनी है;

(ख) क्या रेलवे सुरक्षा बल के कई पद अभी भी खाली हैं और नहीं भरे गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे सुरक्षा बल रेलवे संपत्ति की संरक्षा और सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने रेलवे के वर्क्स प्रोग्राम के तहत एक कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के लिए उपयुक्त और पर्याप्त भूमि की पहचान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान आरपीएफ को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

रेलवे सुरक्षा बल की नफरी के संबंध में 11.03.2020 को लोक सभा में डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, श्री श्रीनिवास पाटील, श्री रामचरण बोहरा, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले के अतारांकित प्रश्न संख्या 2886 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) की स्वीकृत संख्या 74,830 है और 61,869 आरपीएफ कर्मी ऑन रोल हैं। महिला कॉन्स्टेबलों की जोन-वार संख्या और उनकी तैनाती के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	महिला कॉन्स्टेबलों की संख्या	तैनाती के ब्यौरे
	मध्य	107	उन्हें यात्री क्षेत्रों में ड्यूटी, गाड़ी मार्गरक्षण संबंधी ड्यूटी, बंदोबस्त ड्यूटी, बेदखली, महिला डिब्बों और दिव्यांगों के डिब्बों में विशेष अभियान और टिकट जांच संबंधी ड्यूटी में सहायता के लिए तैनात किया जाता है।
	पूर्व तट	53	
	पूर्व मध्य	50	
	पूर्व	121	
	उत्तर मध्य	66	
	पूर्वोत्तर	76	
	पूर्वोत्तर सीमा	64	
	उत्तर	170	
	उत्तर पश्चिम	54	
	दक्षिण मध्य	22	
	दक्षिण पूर्व मध्य	29	
	दक्षिण पूर्व	104	
	दक्षिण	125	
	दक्षिण पश्चिम	37	
	पश्चिम मध्य	58	
	पश्चिम	93	
	रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ)	399	
	कोंकण	5	
	जगजीवन राम आरपीएफ अकादमी	1	
कुल		1634	

महिला आरपीएफ कर्मियों की मौजूदा संख्या के अलावा, 4078 महिला कॉन्स्टेबलों और 298 उपनिरीक्षकों को भर्ती किया गया है/पैनलबद्ध किया गया है और उनका प्रशिक्षण चल रहा है।

(ख) सुरक्षा विभाग (रेल सुरक्षा बल) में रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियां सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, मृत्यु, त्यागपत्र देने आदि के कारण उत्पन्न होती हैं, इन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार खुली भर्तियों और विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न रैंकों के लिए भर्ती अभियान शुरू किए गए हैं, ताकि मौजूदा रिक्तियों को भरा जा सके और रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) को मजबूत किया जा सके। चालू भर्तियों के दौरान, 1,121 उप-निरीक्षकों (कार्यकारी), 8,619 कॉन्स्टेबलों (कार्यकारी) और 798 कॉन्स्टेबलों (सहायक) की रिक्तियों को अधिसूचित किया गया था। यह भर्ती पूरी हो चुकी है और आरपीएफ/आरपीएसएफ में कुल 1121 उपनिरीक्षकों, 8543 कॉन्स्टेबलों (कार्यकारी) और 796 कॉन्स्टेबलों सहायक) को पैनलबद्ध किया गया है।

(ग) जी हां। आरपीएफ अधिनियम, 1957 और 2003 में संशोधन के अनुसार, यात्रियों और यात्री क्षेत्र की सुरक्षा के अलावा, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) को अधिदेशित किया गया है। वर्ष 2017, 2018 और 2019 में रेलवे संपत्ति (बुक किए गए परेषण और रेलवे सामग्री) की चोरी के मामले आरपीएफ द्वारा दर्ज किए गए हैं, जो क्रमशः 4,436 से घटकर 4,229 और फिर घटकर 3,987 हो गए, इस प्रकार कमी का रुझान देखा गया है। चोरी और गबन की गई रेलवे संपत्ति की वसूली 2017 में 2.48 करोड़ रु. से सुधरकर 2018 में 3.12 करोड़ रु. और 2019 में 4.37 करोड़ रु. हो गई।

रेलवे संपत्ति की चोरी को रोकने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

i. सभी बड़े रेलवे स्टेशनों, डिपो, यार्डों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर चौबीसों घंटे रेल सुरक्षा बल की तैनाती होती है।

ii. संवेदनशील खंड़ों में प्रभावित यात्रियों और मालगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है।

iii. रेलवे यार्डों में टावर लाइट, गश्त के लिए मार्ग आदि उपलब्ध कराए जाते हैं।

iv. ऐसी चोरियों को रोकने के लिए गाड़ियों और रेलवे परिसरों में अवांछनीय तत्वों के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाए जाते हैं।

v. भारतीय रेल में लगभग 522 रेलवे स्टेशनों पर और 2136 सवारी डिब्बों में मुहैया कराए गए क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है।

vi. चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर समय-समय पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय अर्थात पहरा देना, घात लगाना आदि किए जाते हैं।

vii. रेलवे संपत्ति की चोरी के सभी मामले तुरंत दर्ज किए जाते हैं, जांच की जाती है और कानून के अनुसार अभियोजन के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है।

viii. एकांत स्थानों पर रखे हुए रेलवे सामग्री के गट्ठरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है जहां पर चौकीदार तैनात होते हैं।

ix. आरपीएफ की अपराध आसूचना शाखा (सीआईबी) संवेदनशील स्थानों पर नियमित निगरानी रखती है और समय-समय पर रेलवे संपत्ति की चोरी में लिप्त सक्रिय अपराधियों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करती है। चोरी की गई रेलवे संपत्तियों को रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी के आधार पर छापे मारे जाते हैं।

x. रेलवे संपत्ति की चोरी/गबन को रोकने के लिए अवसंरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है।

xi. आपराधिक आसूचना के संग्रहण और साझेदारी के लिए राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी)/सिविल पुलिस के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) भारतीय रेल अपने सभी यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. हरियाणा के जगाधरी कारखाने में कमांडो बटालियन और कमांडो प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है।

2. 522 स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी रेलवे स्टेशनों और यात्री वाहक गाड़ियों में उत्तरोत्तर रूप से सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली और वाई-फाई सुविधा प्रदान करने की योजना है।

3. भारतीय रेल के संवेदनशील स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली लागू की जा रही है। इस प्रणाली में चार व्यापक क्षेत्र हैं-

क) आईपी आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली

ख) एक्सेस कंट्रोल

ग) व्यक्तिगत और सामान जांच प्रणाली

घ) बम संसूचन एवं निपटान प्रणाली

4. सभी प्रमुख स्टेशनों के साथ-साथ गाड़ियों में खोजी कुत्तों के साथ तोड़फोड़ निरोधक जांच की जाती है। यात्री और उनके सामान की जांच के लिए बैगेज स्कैनर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी) और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) का इस्तेमाल किया जा रहा है।

5. "आरपीएफ सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली" (आरएसएमएस) पायलट परियोजना को 187 स्थानों की नेटवर्किंग के साथ सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस अनुप्रयोग को आरपीएफ की सभी चौकियों की नेटवर्किंग के लिए लागू किया जा रहा है।

6. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।

7. आरपीएफ को 11.04.2019 से स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 42 और 67 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और निर्दिष्ट कर्तव्यों का निर्वाह करने का भी अधिकार दिया गया है।

8. सभी आरपीएफ चौकियों में आरपीएफ सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत अंतरप्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) एक्सेस प्रदान की गई है।

9. महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आरपीएफ में क्रमश 4,078 और 298 महिला कॉन्सटेबलों और उपनिरीक्षकों की भर्ती पूरी कर ली गई है। यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के क्षेत्र में आरपीएफ की पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है।

10. रेलवे परिसरों के साथ-साथ चलती गाड़ियों में अपराध की रोकथाम और पता लगाने व कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेलवे द्वारा राज्य पुलिस/जीआरपी प्राधिकारियों, केन्द्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों और सिविल प्राधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर निकट संपर्क रखा जाता है। अब तक, 2019 सवारी डिब्बों में वीडियो निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराई गई है।

*****